

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-196/2021 , 26

/पटना, दिनांक-26/5/2022

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

SL.No	Name of Division	Block	Project ID	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jhajha	Chakai	20804202081	Balkor T02 to Gursutti	1.200	36.532	16.594	3.653	56.779
2	Jhajha	Chakai	20804202121	Dulampur to Pataua	4.212	121.679	59.316	12.167	193.162
3	Jhajha	Chakai	20804202140	Baljori to Kausjor	4.072	151.592	50.562	15.159	217.313
4	Jhajha	Chakai	20804202153	Khas Chakai to Garhi	4.320	147.461	58.584	14.746	220.791
5	Jhajha	Chakai	20804202124	Karahi to Pachuadih	4.850	158.277	68.481	15.827	242.585
6	Jhajha	Chakai	20804202071	Karna Road se ChunwaraydiH Tak	2.850	101.765	35.709	10.176	147.650
7	Jhajha	Chakai	20804202161	Berwari to Dhodsakola	2.530	87.723	30.620	8.772	127.115
8	Jhajha	Chakai	20804202162	Hariaindhi to Karmatanr	1.500	78.860	17.939	7.886	104.685
9	Jhajha	Chakai	20804102059	Karangadh se Nawada	1.537	71.299	18.477	7.130	96.906
10	Jhajha	Sono	20804202135	T01 to Bhujnavi Das Tola	4.195	154.069	50.191	15.406	219.666
11	Jhajha	Sono	20804102069	Near Charka Pathar to Garhatanr	1.659	72.080	19.095	7.208	98.383
12	Jhajha	Sono	20804202114	Makorkon to Sonail Tanr	4.060	145.974	48.133	14.597	208.704
13	Jhajha	Sono	20804202043	Mahapur kendupewar to Beldathan	4.140	171.143	47.247	17.114	235.504
14	Jhajha	Sono	20804202053	Maheshwari Bandmara Road to Tetaria	5.150	189.429	58.805	18.943	267.177
15	Jhajha	Sono	20804102061	Kewali to Dokali	3.246	127.932	38.250	12.793	178.975
16	Jhajha	Sono	20804202041	Loha Lakraha to Hariharpur Sono Road	2.309	87.423	25.856	8.742	122.021

SL.No	Name of Division	Block	Project ID	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Jhajha	Jhajha	20804202046	Dadpur Bhowa PWD Road to Nauwakura Teliyadih	1.385	49.305	15.696	4.931	69.932
18	Jhajha	Jhajha	20804201018	Dadpur Bhowa PWD Road to Sabjijor village	1.865	71.603	18.039	7.160	96.802
19	Jhajha	Jhajha	20804102045	Sitkochak to Sundari	5.592	214.892	60.704	21.489	297.085
20	Jhajha	Jhajha	20804201006	Jhajha Dhamna Road to Chhuchhnariya Navka Tola	2.150	78.990	24.731	7.899	111.620
21	Jhajha	Jhajha	20804102101	Laxmipur to Jhajha Road	9.940	352.315	116.320	35.231	503.866
22	Jhajha	Jhajha	20804202057	Pargaha Garbhusthan to Pargaha Main Road	1.355	53.576	14.194	5.358	73.128
23	Jhajha	Jhajha	20804202052	Laxmipur Dhamna Jhajha Road to Teliyadih	0.510	20.982	6.056	2.098	29.136
24	Jhajha	Jhajha	20804102042	Borwa to Bishanpur	1.000	43.466	7.829	4.347	55.642
25	Jhajha	Jhajha	20804202048	Near Nakti Dam Near Main Road to Ghutia	0.800	30.236	8.414	3.024	41.674
26	Jhajha	Gidhour	20804201004	Gidhour Moura REO Road to Utkarmit Middle School Patsanda hote huye Bandhura	1.200	55.538	9.905	5.553	70.996
27	Jhajha	Gidhour	20804201017	Jamui Gidhour PWD Road to Mahuli village	2.300	105.740	28.312	10.574	144.626
Total					79.927				4231.923

- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, झाझा के अधीन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त निविदा का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-118/2022 में दिनांक-31.03.2022 को प्राप्त है।
- सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-26/5/2022 को संचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-196/2021 में अनुमोदन प्राप्त है।
- योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
- संबंधित योजना U/SRI कैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
- बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं०-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा
16. एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु०अ०-4 (मु०)-3054-04-196/2021 के पृ०-8/टि० पर दिनांक- 24.5.2022 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

26/5/2022

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु०अ०-4(मु०)-3054-04-196/2021-26 /पटना, दिनांक- 26/5/2022
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/2022

विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु०अ०-4(मु०)-3054-04-196/2021 - 26 /पटना, दिनांक-26/5/2022
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर /जिला पदाधिकारी, जमुई /उप विकास आयुक्त, जमुई /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-2 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, झांझा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6

26/5/2022

विशेष सचिव